

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2968 /2023 दिनांक 06.10.2023

श्री बालकृष्ण कटारा (RJ00660), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, चित्तौड़गढ़ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 22.08.2023 से 23.08.2023 तक 02 दिनों का उपाजित अवकाश ।
2. दिनांक 24.08.2023 से 08.09.2023 तक 16 दिनों का परावर्तित अवकाश  
दिनांक 09.09.2023 से 10.09.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
05.10.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4) 28/2011/ 6417

दिनांक :06.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 3775 दिनांक 12.09.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री बालकृष्ण कटारा (RJ00660), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, चित्तौड़गढ़ ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, चित्तौड़गढ़ ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)।

सहायक रजिस्ट्रार  
6/10/23